

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान  
(यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत  
मानित विश्वविद्यालय)

फा.सं. नीपा/प्रशासन/आरओ/यूजीसी/002/2022-23  
दिनांक: 6 अप्रैल, 2023

कार्यालय आदेश

नीपा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) का क्रियान्वयन


दिनांक 28.07.2021 के राजपत्रित अधिसूचना शीर्षक "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना और संचालन) विनियम 2021" तथा सचिव यूजीसी द्वारा दिनांक 29.07.2021 और 21.02.2023, के पत्र द्वारा अनुमोदित के अनुपालन में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) के क्रियान्वयन के मामले पर अध्ययन बोर्ड (13.03.2023 को आयोजित 12वीं बैठक) और अकादमिक परिषद (15.03.2023 को आयोजित 31वीं बैठक) और आगे संस्थान में योजना और निगरानी बोर्ड (20.03.2023 को आयोजित चौथी बैठक) में चर्चा की गई।

सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण नियमन को स्वीकार किया और नए शैक्षणिक सत्र 2023-24के शुरू होने से पहले इसे अपनाने, सभी हितधारकों के बीच दिशानिर्देशों के प्रसार और इसे लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आवश्यक ऑनबोर्डिंग (<https://www.abc.gov.in>) और संस्थान के सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रोफेसर के श्रीनिवास, विभागाध्यक्ष, आईसीटी और पीएमयू को नीपा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) शुरू करने और लागू करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: ए/ए

  
कुलसचिव,

प्रति:

प्रो के श्रीनिवास

विभागाध्यक्ष, आईसीटी और पीएमयू

प्रतिलिपि:

1. सभी विभागों/केंद्रों/एककों के प्रमुख
2. संकाय सदस्य
3. सभी अनुभागों के अध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रलेखन अधिकारी/उप प्रकाशन अधिकारी/हिंदी संपादक
4. कुलपति के निजी सचिव- माननीय कुलपति के सूचनार्थ
5. वित्त अधिकारी
6. कुलसचिव के निजी सहायक- (सूचनार्थ)
7. सिस्टम एनालिस्ट को नीपा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु